FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला–चित्तौड़गढ़ ....

....बनाम ....

किस्म मुकदमा......................नं. ....सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
6-1-22	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दुर्गेश जोशी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र/वाद पत्र के प्रकरण में फाईल किये गये आवेदन को पढ़ने के पश्चात और उसके समर्थन मे प्रस्तुत किये गए दस्तावेज, नकल जमाबन्दी व शपथ–पत्र का अवलोकन करने के पश्चात, वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा, सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित मानते हुये स्थगन बाबत् आदेश है कि, विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तिथि तक पांबद किया जाता है कि, ग्राम नंगावली पटवार हल्का नंगावली में स्थित खाता संख्या 210 में वर्णित आराजी नम्बर 2098/467 रकबा 0.4800 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 30/89 हक हिस्सा है तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे आधिपत्य की स्थित हैं। प्रार्थना–पत्र के कमल संख्या 2 में खाते में वर्णित आराजी नम्बर 2098/467 रकबा 0.4800 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के 30/89 हक हिस्से की भूमि में अन्य व्यक्ति को कब्जा नही देवे न ही कोई कब्जा कर निर्माण कार्य नही करें तथा अन्य व्यक्तियों को हस्तानान्तरित करें। विपक्षी संख्या 1 से 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसमे यदि कोई वजह रखते हो तो दिनांक 4-2-2022 को समय प्रातः 10:00 बजे न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अनुपस्थिति की दशा मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यह हुक्मनामा आज दिनांक 6-1-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी डूंगला उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय डूंगला जि. चित्तौड़गढ़ Signature Not Verified Digitally signed by Mohar Singh Meena Date: 2022.02.03 18:17:34 IST Reason: SelfAttested	